5-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम बनेठा पर प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट की ओर से राजेश व रेस्पोन्डेन्ट न० 1 बदाम उपस्थित। तहसीलदार उनियारा व उप पंजीयक बनेठा उपस्थित। मजमे आम दोनो पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षो को सुनने पर पाया गया कि कान्ता जी के तीन वारिस जमनालाल पुत्र, बदाम पुत्री व लड्डू देवी पुत्री है, जिनमे से जमनालाल की मृत्यु दि० 26-3-1970, लड्डू देवी की मृत्यु 1-8-1990 व कान्ता की मृत्यु 29-10-1999 को हुई है। यह सही है कि जमना की मृत्यु के समय बदाम, लड्डू व कान्ता उसके पिता जीवित थे। लड्डू देवी की मृत्यु दि० 1-8-90 को हो चुकी थी, जबकि नामांतरकरण संख्या 619 ग्राम बनेठा दि० 15-5-2000 को सरपंच ग्राम पंचायत बनेठा द्वारा तस्दीक किया गया है। नामांतरकरण तस्दीक करते समय जमनालाल की वारिसान मात्र बदाम ही जीवित थी। अपीलान्ट्स लड्डू देवी के वारिसान है, जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जमनालाल के जायज वारिसान नही है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण कोरम के निर्णय अनुसार स्वीकार किया है। सरपंच ग्राम पंचायत बनेठा ने नामान्तरकरण स्वीकार करने मे कोई गलती नही की है अत: प्रस्तुत अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाम पेश हो।

रजिस्टर

(signature)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक